संख्या- 16/482/बयालिस-2015-51(बजट)/2014

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 11 मार्च, 2016**

विषय- म्योहाल स्पोर्टस काम्पलेक्स, (सम्प्रति अमिताभ बच्चन स्पोर्टस काम्पलेक्स) इलाहाबाद में एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत मुख्य भवन के प्रथम तल का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण एवं स्क्वैश कोर्ट तथा जिम्नेजियम हाल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी- 1469/नि0 म्योहाल स्टे0पत्रा0/2015-16, दिनांक 04 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या- 25/751/बयालिस-2015-51(बजट)/2014, दिनांक 29 मार्च, 2015 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 391.04 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष- 2015-16 में अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत म्योहाल स्पोर्टस काम्पलेक्स, (सम्प्रति अमिताभ बच्चन स्पोर्टस काम्पलेक्स) इलाहाबाद में एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत मुख्य भवन के प्रथम तल का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण एवं स्क्वैश कोर्ट तथा जिम्नेजियम हाल के निर्माण के सम्बन्ध में अनुदान संख्या- 83 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 240.00 लाख में से रू0 191.04 लाख (रू0 एक करोड़ इक्कयानबे लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 191.04 लाख (रू0 एक करोड़ इक्कयानबे लाख चार हजार मात्र) कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृत वित्तीय वर्ष- 2015-16 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत् दी जा रही है।

(2)- कार्यों को पूर्व गुणवत्ता एवं मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप में ही पूर्ण किये जाने का दायित्व निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(3)- स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनूवल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य को निर्धारित समय में ही पूर्ण किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/जनजाति सब प्लान से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(6)- मूल शासनादेश संख्या- 25/751/बयालिस-2015-51(बजट)/2014, दिनांक 29 मार्च, 2015 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 83 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-789-अनूसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-म्योहॉल, इलाहाबाद स्थित स्पोर्टस कॉम्पलेक्स के सुदृढ़ीकरण/जीर्णोद्धार/नवीनीकरण एवं विस्तर हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण के शासनादेश संख्या- 07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के प्रस्तर 2(6)(घ) में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 16/482(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
(5)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, इलाहाबाद।
(6)- परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इलाहाबाद।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in